न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0मिश्रा,

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5276-दो/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 24-5-16 पारित द्वारा न्यायालय अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला-सतना प्र0क्र0 11-अ/12/15-16.

राकेश त्रिपाठी तनय रामावतार त्रिपाठी,
निवासी- बरेठिया कोठार, तहसील- उचेहरा, जिला सतना (म0प्र0)

---आवेदक

विरूद्ध

सुरेश प्रसाद त्रिपाठी तनय स्व0 श्री विप्रप्रसाद त्रिपाठी,
निवासी ग्राम- बरेठिया कोठार, तहसील- उचेहरा, जिला सतना (म0प्र0)

---अनावेदक

श्री मोतीलाल सिंह, अधिवक्ता - आवेदक,
श्री आदित्य त्रिपाठी, अधिवक्ता -अनावेदक

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक २४/ ४/१४ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला-सतना के आदेश दिनांक 24-05-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक सुरेश त्रिपाठी द्वारा ग्राम बरेठिया कोठार स्थित आराजी क्र0 90/3/ख रकवा 1.097 हे0 भूमि के सीमांकन कराये जाने हेतु संहिता की धारा-129 के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आदेश पत्र क्र0 335 दिनांक 07-11-15 द्वारा टीम गठित कर सीमांकन कार्य सम्पादित किये जाने के आदेश दिये गये । सीमांकन दल प्रभारी राजस्व निरीक्षक वृत्त उचेहरा जिला सतना द्वारा ग्राम बरेठिया कोठार स्थित प्रश्नाधीन भूमि के सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना जारी कर नियत दिनांक 03-05-16 को गठित दल के सदस्यों के साथ सीमांकन कार्य सम्पादित कर तत्संबंध को प्रतिवेदन, फील्डबुक, नक्क्षा ट्रेस, स्थल पंचनामा, सूचना-पत्र सहित अधीक्षक, भू-अभिलेख, सतना को प्रस्तुत किया गया । गठित दल द्वारा की गई इस सीमांकन कार्यवाही के संबंध में राकेश त्रिपाठी तनय श्री रामऔतार त्रिपाठी आवेदक द्वारा आपत्ति आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया इस संबंध में उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया । आपत्तिकर्ता की आपत्ति का जवाब अनावेदक श्री सुरेश प्रसाद त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत कर लेख किया कि सीमांकन दल द्वारा सीमांकन की कार्यवाही विधिवत की गई है । विचारोपरांत आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति आधारहीन होने से खारिज कर दी गई । इस प्रकार सीमांकन दल द्वारा प्रस्तुत किये गये सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 10-05-16 के आधार पर अधीक्षक, भू-अभिलेख सतना द्वारा सीमांकन का आदेश दिनांक 24-05-16 पारित कर सीमांकन की पुष्टि की गई साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि आपत्तिकर्ता चाहे तो अपनी भूमि का सीमांकन पृथक से कराकर अपनी भूमि का सीमा ज्ञान कर सकता है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश दि0 24-05-16 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत

की गई है ।

2/ आवेदक के मुख्य तर्क है कि निगरानीकर्ता की आराजी नं0 91/2 रकवा 0.031 है जिसका वह भूमिस्वामी है तथा गैर निगरानीकर्ता की आराजी नं0 90/3/ख है जिस पर सीमा का विवाद है और बिना नक्शा तरमीम के प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है जो अवैधानिक है उनका यह भी तर्क है कि उसकी आपत्ति को निरस्त किया गया है, आपत्ति निरस्ती का कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है केवल यह लिख दिया कि निगरानी कर्ता चाहे तो अपनी आराजी का सीमांकन करा सकता है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मौके पर निगरानीकर्ता उपस्थित नहीं था किंतु यह लिख दिया कि निगरानीकर्ता ने हस्ताक्षर करने से मना किया है तथा प्रतिवेदन के आधार पर सीमांकन की पुष्टि किये जाने में कानूनी भूल की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24-05-16 निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त इन्हीं आराजियों के संबंध में गैर निगरानीकर्ता ने सिविल वाद दायर किया है और एस0डी0ओ0 न्यायालय में भी अपील प्रस्तुत किया था जो दि0 24-02-18 को निरस्त हो गई है । इसके बाद भू अभिलेख अधीक्षक को प्रभावित कर आलोच्य आदेश पारित करवाया गया हैं जो निरस्ती योग्य है ।

3/ अनावेदक/ गैर निगरानीकर्ता द्वारा तर्क दिये गये कि आवेदक द्वारा अपनी प्रश्नाधीन आराजी पर सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन दिया गया था किंतु हल्का पटवारी के पास नक्शा तथा रिकार्ड रूम में बंदोबस्ती उस समय न होने से आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया था । उक्त तथ्य राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने आदेश दिनांक 02-06-13 में स्पष्ट किया गया है उनका यह भी तर्क है कि आवेदक का आवेदन सीमांकन का नक्शा उपलब्ध न होने से निरस्त

हुआ है तो उसके द्वारा पुनः सीमांकन किये जाने हेतु जिला भू-अधीक्षक के आवेदन प्रस्तुत किया गया और बंदोबस्ती खसरे की नकल लिया जो उपलब्ध हो गई जिसके आधार पर सीमांकन टीम गठित की गई तथा निगराकार को विधिवत सूचना दी गई उसके द्वारा सूचना में हस्ताक्षर किये गये है । इसके उपरांत ही राजस्व अधिकारियों द्वारा विधिवत सीमांकन किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

4/ उभय-पक्ष के तर्को पर मनन किया तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पत्र क्र0 335 दिनांक 07-11-15 द्वारा टीम गठित कर सीमांकन कार्य सम्पादित किये जाने के आदेश दिये गये । सीमांकन दल प्रभारी राजस्व निरीक्षक वृत्त उचेहरा जिला सतना द्वारा ग्राम बरेठिया कोठार स्थित प्रश्नाधीन भूमि के सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना जारी कर नियत दिनांक 03-05-16 को गठित दल के सदस्यों के साथ सीमांकन कार्य सम्पादित कराकर अपना प्रतिवेदन, फील्डबुक, नक्क्षा ट्रेस, स्थल पंचनामा, सूचना-पत्र सहित अधीक्षक, भू-अभिलेख, सतना को प्रस्तुत किया गया । इसके पूर्व गठित दल द्वारा की गई इस सीमांकन कार्यवाही के संबंध में राकेश त्रिपाठी तनय श्री रामऔतार त्रिपाठी को सूचना दी गई है सूचना-पत्र पर दिनांक 01-05-16 को उनके हस्ताक्षर मौजूद है । स्थल पंचनामा दिनांक 03-05-16 पर कई व्यक्तियों के हस्ताक्षर है उनके समक्ष आवेदक द्वारा सूचना उपरांत हस्ताक्षर करने से मना किया गया है । पंचनामे में स्थल निरीक्षण उपरांत उल्लिखित किया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर गोबर डालकर एवं नाली व बाडी बनाकर कब्जा किया गया है । आवेदक की आपत्ति निरस्त कर अधीक्षक भू-अभिलेख, सतना द्वारा पारित आलोच्य आदेश में उल्लिखित

किया है कि आपत्तिकर्ता चाहे तो अपनी भूमि का सीमांकन पृथक से कराकर अपनी भूमि का सीमा ज्ञान प्राप्त कर सकता है । इस आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है ।

5/ अतः उक्त विवेचना के आधार पर अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला-सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-05-16 वैधानिक होने से स्थिर रखा जाता है तथा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

28/8/18

(रवीन्द्र कुमार मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर